मैनुअल - 01

धारा 4 (1) (बी) (i) वस्त्र आयुक्त कार्यालय का संगठन, प्रकार्य और ड्यूटियाँ

पृष्ठभूमि

वस्त्र आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान की गई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य बहु सेनाओं एवं सिविलियन लोगों को वस्त्रों की आपूर्ति की व्यवस्था करना था । विश्वयुद्धII की समाप्ति पर वस्प आयुक्त कार्यालय को युद्ध पश्चात अभाव पूर्ण स्थितियों में सिविल खपत के लिए उपलब्ध वस्पें की विशिष्ट किस्मों की कीमतों पर नियंत्रण एवं इसके वितरण और नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ।

परिवर्तित परिदृश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया एवं दसका क्रियान्वयन आरंभ किया । औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम,1951 के प्ररण्यापन के बाद कार्यालय की भूमिका में विकासात्मक रूप धारण किया । विकासात्मक प्रकार्यों का विस्तृत है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विषय समाविष्ट हैं जैसे कि मशीनरी, नई प्रौद्योगिकी का समावेश और संगठित और विकेन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रों का समन्वित विकास । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन जारी किए गए विभिन्न आदेशों द्वारा वस्त्र आयुक्त को विनियामक और विकासात्मक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उपयुक्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । वस्त्र आयुक्त वस्त्रों के निर्यात को बढ़वा देने एवं निर्यात कोटा प्रबंधन के समन्वयन के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यो की निगरानी करते हैं एवं समुचित सहायता करते ळैं । वस्त्रोद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय डाटा बैंक भी है ।

संगठनात्मक व्यवस्था :-

वस्त्र आयुक्त कार्यालय का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है एवं इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय व 15 विद्युत करघा सेवा केन्द्र देश के विभिन्न राज्यों में अवस्थित हैं ।

1. मुख्यालय के प्रकार्य और कर्तव्य

मुख्यालय के प्रकार्यों को निम्नलिखित विस्तृत प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है ।

(क) नीति की योजना बनाने से संबंधित प्रकार्य :-

(i) वस्त्र आयुक्त वस्त्र उद्योग से संबद्ध विभिन्न पक्षों पर विशेष रूप से तकनीकी पक्षों पर सरकार को सलाह देता है और वस्त्र उद्योग के लिए सरकारी नीति को बनाने और इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है ।

(ii) मुख्यालय वस्त्रों के उत्पादन आपूर्ति और वितरण के पैटर्न को मानीटर करता है और वस्त्र उत्पादन खपत और निर्यात से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करता है और इसका विश्लेषण करता है । इसके

अतिरिक्त भारत सरकार को नीतियों को तैयार करने के लिए इन्पुट देता है ।

(iii) मुख्यालय विभिन्न वस्त्र उद्योग संघों से प्राप्त विभिन्न संस्तुतियों के आधार पर पूर्व बजट ज्ञापन बजट प्रस्तावों में समाविष्ट करने कि लिए तैयार करता है उसी प्रकार बजट आपूर्ति बजट प्रस्तावों और सिफारिशों के प्रभाव का विश्लेषण ।

(iv) मुख्यालय द्वारा महत्वपूर्ण विकासात्मक/वित्तीय योजनाओं/योजनाओं जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना , रूई तकनीक मिशन को बनाने और परीक्षण, प्रयोगशालाओं/वि.क.से.के. और वस्त्र अनुसंधान संगठन, आर एण्ड डी उपस्करों आदि के उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण इन्पुट प्रदान करता है ।

(ख) विकासात्मक प्रकार्य

(i) वस्त्रोंद्योग की मिलों की रूग्णता और बंद होने पर निगरानी रखना ।

(ii) विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की मानिटिरिंग/निरीक्षण करता है ।

(iii) मुख्यालय विकसेके की गतिविधियों का समन्वयन करता है और वस्त्र अनुसंधान संघों जो कि अधिकांश विकसेके को चलाते हैं इनका मार्गदर्शन करता है । इसके अतिरिक्त शेष दो वि.क.से.के. को चलाने वाली राज्य सरकार के अभिकरणों की भी सहायता करता है ।

(iv) मुख्यालय वस्त्र अनुसंधान संघों की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को वस्त्रोद्योग के लिए उपयोगी बनाने हेतु समन्वित करता है । इस उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे वस्त् अनुसंधानों संघों के आर एण्ड डी आधारित संरचना और मशीनरी में सुधार लासा जा सके ।

(v) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय क्षरा विकेन्द्रित वि.क.से.के. और प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए प्रौउनियो चलाई जा रही है, जिनमें कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रोद्योगिकी का उन्नयन करके गुणवत्ता औ उत्पादकता में सुधार किया जा सके । इसी तरह रूई तकनीकी मिशन के अंतर्गत मिनी मिशन 3 और 4 द्वारा जिनिंग और प्रेसिंग यूनिटों के उन्नयन द्वारा जिनिंग और प्रेस कॉटन व मार्केटयाडल को गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है ।

(vi) पावरलूम उद्योग एवं वर्कशेड योजना के विकास हेतु हाईटेक विविंग पार्क और एपेरल पार्क योजनाएँ लांच की गई हैं ।

(ग) संवर्धनात्मक और सुविधाजन्य प्रकार्य

(i) इस कार्यालय द्वारा वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना पूर्णत: बंद मिलों/मिल विीजन के लिए क्रियान्वित की जा रही है जिससे कि विस्थापित कामगारों को 3 वर्ष के ग्रेडेड स्केल पर राहत प्रदान की जा सके, मुख्यत: बेराजगारी की मार झेलने के लिए जब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो जाते ।

(ii) मुख्यालय विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यों की निगरानी करता है और कार्य संपादन में सहायता करता है, जिससे वस्त्रों के निर्यात को संवर्धित किया जा सके और कोटा प्रशासन पर व अंतर निर्यात संबर्धन परिषद समन्वयन की देख-रेख करता है ।

(iii) मुख्यालय वस्त्र अद्योग से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न पक्षो को देखता है । यह वस्त्र समिति, गैर सरकारी संगठन और राज्य-स्तरीय अभिकरणों की सहायता से उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाता है ।

(iv) पावरलूम बुनकरों के कल्याल हेतु जनश्री बीमा योजना और एड ऑन ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लांच की गई है ।

(घ) विनियामक प्रकार्य

(i) वर्तमान में वस्त्र आयुक्त आई (डी एण्ड आर) अधिनियम के अन्तर्गत कोई विनियामक प्रकार्यों का संपादन नहीं करता । अब, वह विशिष्ट लाइसेसिंग, कैपिटल गुडस आयात या एफडीआर्द मामलों से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है । उसका कार्यालय औद्योगिक इकाइयों के संस्थापक /विस्तारण से संबंधित सूचना ज्ञापन सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्राप्त करता है ।

(ii) आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम,1955 के अन्तर्गत कुछ वर्षों पूर्व जारी किए जाने वाले व नियंत्रण आदेशों की जगह धारा 3 के तहत केवल दो नियंत्रण आदेश जारी किए जाते हैं नामतः वस्त्र (विकास और विनियम) आदेश, 2001 वस्त्र आयुक्त को क्लोथ, यार्न और अन्य सव्तु उत्पादों के विनिर्देशों से संबंधित, क्लोथ, यार्न और अन्य वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के लिए न्यूनतक या अधिकतम मात्रा का निर्धारण करने प्रयोग और खपत, अधिकतम कीमतें, यार्न को हैंक कोन या अन्य किसी रूप में पैक करने, क्लोथ, यार्न और अन्य वस्त्र उत्पादों पर मार्किंग करने एवं उचित वितरण सुनिश्चित करने व लेखा खातों को बनाने संबंधी निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

(iii) वर्तमान में कीमत नियंत्रण का प्रवर्तन नहीं किया जाता और वस्त्र आयुक्त केवल तीन विनियामक अधिसूचनाएँ वस्त्र (विकास और विनियम) आदेश, 2001 के अधीन प्रवर्तन करता है नामतः वस्त्र (उपभेक्ता सुरक्षा) विनियम, 1998, हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2000 और सांख्यिकी रिटर्न (संशोधन) अधिसूचना,1997 जबकि पहली अधिसूचना विनिर्दिष्ट वस्त्र उत्पादों पर उपभोक्ताओं के हित में कुछ मार्किंग निर्धारित करता है । इसकी अधिसूचना के प्रवर्तन द्वारा हस्तकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर हैंक यार्न की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाती है ।

(iv) रूई नियंत्रण आदेश, 1986 वस्त्र आयुक्त को अभाव के दौरान रूई और बिनौले की कीमत, वितरण और स्टॉक नियंत्रण के प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत करता है । वर्तमान में इसे लागू नहीं किया जा रहा है ।

(v) इसके अतिरिक्त दोनों कपास आदेशों के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचनाएँ जारी की जाती है जो कि सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य से संगठित वस्त्र उद्योग और कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग को उत्पादन, क्षमता आदि से संबंधित सांख्यिकी विवरण फाइल करना अनिवार्य करता है ।

(vi) नयी वस्त्र नीति,200 (इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है) के तहत दो अवशिष्ट नियंत्रण आदेशों की समीक्षा करने इसके प्रावधानों के औचित्य स्थापन के प्रयास जारी है जिससे इसके प्रावधानों को कम से कम किया जा सके एवं नियामक प्रावधानों को मुख्यत: पर्यावरण और उपभोक्त संरक्षण तथा सरकार और उद्योग की सांख्यिकी आवश्यकताओं पर केन्द्रित किया जा सके ।

(च) प्रशासनिक प्रकार्य

(i) वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी कर्मचारियों की जीवनन्वृन्त रखना ।

(ii) अधिकारियों के कार्य-कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से इन्हें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करना ।

(iii) राजपत्रित अधिकारियों (ग्रुप ए) के प्रोन्नति के प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजना और अन्य पदों के लिए नियमित अन्तराल पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करना ।

(iv) वरिष्ठता सूची, आरक्षण रोस्टर आदि रखना ।

(v) इस कार्यालय के कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइल , सर्विस रिकार्ड, एसीआर आदि रखना ।

(vi) अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(vii) सेवानिवृत्त होने वाले एवं सेवा-निवृत्त अधिकारियों के पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित गतिविधियों का संपादन ।

(viii) अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु नियमित जाँच करवाना ।

(ix) उद्योग और व्यापार के स्टॉफ से संबंधित शिकायतों की जाँच करवाना ।

(x) लोक शिकायतों की सुनवाई और इनका निपटान करना ।

(xi) सतर्कता से संबंधित मामलों के निपटान हेतु सीबीआई के साथ बैठकें आयोजित करना ।

उपरोक्त प्रकार्य मुख्यालय, कार्यालय के निम्नलिखित अनुभागों द्वारा संपादित किए जाते हैं ।

विकासात्मक प्रकार्य

1) कताई अनुभाग
2) बुनाई , होजियरी और निटवेयर अनुभाग
3) टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेवलपमेंट सेल

4) ऊन अनुभाग
5) विद्युत करधा अनुभाग
6) तकनीकी विकास और वस्त्र मशीनरी अनुभाग
7) रूई/कच्चा माल अनुभाग
8) निर्यात संवर्धन अनुभाग एक एवं दो
9) आर्थिक और सांख्यिकी
10) लागत
11) मूल्य

विनियामक

12) उपभोक्ता सेवा अनुभाग
13) विधि और प्रवर्तन अनुभाग

सामान्य सेवाएँ

14) संगठन और पद्धति एवं समन्वय अनुभाग
15) स्थापना-एक अनुभाग
16) स्थापना-दो अनुभाग
17) लेखा अनुभाग
18) गृह व्यवस्था अनुभाग
19) सतर्कता अनुभाग
20) सूचना, जन संपर्क और पुस्तकालय अनुभाग
21) राजभाषा अनुभाग

मुख्यालय के प्रत्येक अनुभागों के प्रकार्यों का ब्यौरा इस कार्यालय की वेबसाइट, http://txcindia.com/ पर प्रस्तुत किया गया है ।

II) क्षेत्रीय कार्यालयों का संगठन

मुख्यालय के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं । क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष निदेशक या उप निदेशक होते हैं । इनके सहायतार्थ अन्य अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक और अन्य तकनीकी एवं प्रशासकीय स्टॉफ कार्यरत है ।

1) अहमदाबाद
2) अमृतसर
3) मुम्बई
4) कोलकाता
5) कोयम्बतूर
6) कानपुर
7) चेन्नै
8) नोएड़ा

वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख प्रकार्य

वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के प्रकार्यों को मुख्यत: निम्नलिखित प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है ।

(क) विकासात्मक प्रकार्य

(i) वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अलावा अन्य एजेंसियों जैसे वस्त्र अनुसंधान संघ और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले विद्युत करघा सेवा केन्द्र (कुल 44) का पर्यवेक्षण और मार्ग दर्शन करना ।

(ii) विकासात्मक योजनाएँ जैसे प्रोउनियो, वि.क.से.केन्द्र/प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु चलाई जाने वाली विकासात्मक योजनाओं की क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग ।

(iii) विकेन्द्रित वस्त्र सेक्टर जैसे कि पावरलूम और लघु प्रोसेसर को प्रोनिउयो का लाभ उठाने गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात संवर्धन आदि के लिए परामर्श, सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करना ।

(iv) प्रौउनियो एवं अन्य योजनाएँ जैसे नेशनल इक्विटी फन्ड के तहत बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण की सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य परियोजनाएँ रिपोर्ट तैयार करना ।

(v) प्रौउनियो के अन्तर्गत यूनिटों को शामिल करने के लिए यूनिटों का अध्ययन करना, जिन युनिटों में प्रौउनियो के अन्तर्गत बैंच मार्कड/हाई-टेक मशीनरी संस्थापित करने का अनुरोध किया हो, तथ्ां जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थ्ांनों ने ऋण स्वीकृत न किया हो ।

(vi) आवधिक सर्वेक्षण, जनगणना या अध्ययन करना, समय-समय पर वस्त्र उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं अद्यतन करना ।

(vii) उद्योग जगत द्वारा उठाए विभिन्न मुद्दों या उद्योग से संबंधित समस्याओं पर मंत्रालयों/मुख्यालयों को फीडबैक देना एवं इन पर समाधान करना ।

(viii) कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उदा. वस्त्र कल्याण पुनर्वास निधि योजना, सामुहिम जीवन बीमा योजना और ग्रुप वर्कशेड योजना ।

(ix) मानव संसाधान कार्य कुशलता का उन्नयन और विकेन्द्रित सेक्टर में विकास ।

(x) विकेन्द्रित पावरलूम विविंग उद्योग के लिए ग्रुप वर्कशेड योजना, पावरलूम पार्क, एपरेल पार्क आदि की स्थापना एवं प्रौउनियो, वस्त्र केन्द्र आधारभूत ढाँचा विकास योजना से संबंधित कार्य ।

(ख) संवर्धनात्मक प्रकार्य

(i) उपभोक्ता जागरूकता अभियान और प्रौउनियो तकनीकी सेमीनार का आयोजन करना ।

(ii) वंद प्राइवेट वस्त्र मिलों के कामगारों को वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अन्तर्गत राहत राशि का संवितरण ।

(iii) वस्त्र उद्योग और व्यापार से संबंधित विभिन्न मामलों पर सेमिनार, वर्कया ाप, बैठकें आयोजित करना ।

(iv) राज्य सरकार व्यापार संघों, चैम्बर ऑफ कामर्स के साथ वस्त्रोद्योग के संवर्धन के लिए समन्वय स्थापित करना ।

(v) हर प्रकार के क्षेत्र कार्य ।

(ग) विनायमक प्रकार्य

(i) वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियामक आदेशों का क्रियान्वयन ।

(ii) हैंक यार्न बाध्यता पैकिंग योजना लागू करके इसके तहत मिलों द्वारा हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति की मानिटरिंग करना ।

(iii) विद्युत करघा सेवा केन्द्र

देश में 44 स्थापित कि.क.से.केन्द्रों में से वस्त्र आयुक्त के अधीन निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित 14 वि.क.से.केन्द्र हैं :-

1) अमृतसर, पंजाब
2) बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
3) कटक, उड़ीसा
4) इरोड़, तमिनाडू
5) किशनगढ़, राजस्थान
6) भागलपुर, बिहार
7) हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
8) मालेगांव, महाराष्ट्र
9) नागरी, आंध्रप्रदेश
10) मऊ, उत्तरप्रदेश
11) रानाघाट, प. बंगाल
12) सूरत, गुजरात
13) कन्नूर, केरल
14) उमरगांव

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के प्रमुख प्रकार्य

वि.क.से.केन्द्र विकेन्द्रित पावरलूम सेक्टर के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वे इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, परामर्श और परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं । वि.क.से. केन्द्रों द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रकार्य मुख्यत: विकासात्मक प्रकृति के हैं । इसके महत्वपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित हैं :-

(i) पावरलूम बुनकरों एवं इस व्यवसाय को अपनाने में इच्छुक व्यक्तियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनकों बुनाई का ज्ञान और कौशल अर्जित करने में मदद मिल सके, बेहतर गुणवत्ता के कपड़े के उत्पादन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यकुशलता और कौशल में सुधार किया जा सके ।

(ii) करघों के प्रचालन, इसके रख-रखाव, मरम्मत, सर्विसिंग आदि से संबंधित विभिन्न पक्षों पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(iii) बुनकरों को बुनाई की तकनीक एवं कला की जानकारी देना जिससे कि उत्पादन और कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके । कपड़े के कटाव आदि से क्षति एवं छीजन/बर्बादी को रोका जा सके ।

(iv) पावरलूम सेक्टर की विभिन्न समस्याओं को उपयुक्त क्वार्टर तक पहुँचाने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना जिससे कि इन्हें क्लस्टर आधारित तरीके से सुलझाया जा सके ।

(v) पावरलूम सेक्टर को आधुनिकीकरण और एजेंसी के संबंध में मार्गदर्शन करना जिससे कि वित्तीय सहायता के लिए इन तक पहुँचा जा सके ।

(vi) करघों से संबंधित आंकड़े/सूचना एकत्रित करना ।

(vii) पावरलूम बुनकरों को विपणन संबंध में मार्गदर्शन करना ।

(viii) पावरलूम सेक्टर को प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ।

(ix) क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोजन से नयी प्रौद्योगिकी, नयी विकासात्मक गतिविधियों पर सेमिनार, वर्कशाप और प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

(x) पावरलूम से संबंधित विकासात्मक गतिविधियों को समन्वित करना एवं राज्य सरकारों से संपर्क करना ।

(xi) करघों के रख-रखाव मरम्मत आदि पर तकनीकी इन्पुट प्रदान करना ।

(xii) बुनकरों को डिजाइन के विकास के लिए मार्गदर्शन करना ।

(xiii) भारत सरकार द्वारा लांच की गई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत नामांकन करना ।